21.04.2025 पत्रावली पेश। उपपंजीकार उपस्थित।
अपीलार्थी संख्या 01, 02 द्वारा फरवान पेश नहीं
किया गया है पूर्व में पर्याप्त अवसर दिया
जा चुका है अतः अपीलार्थी 01, 02 का फरवान
बन्द किया गया पक्ष में उपपंजीकार की बहस
अंतिम सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना
पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन
किया कि मौजा दांतिया पटवार हल्का लखाना में
खसरा संख्या 801 रकबा 6.57 है0, खसरा संख्या 802
रकबा 4.54 है0, खसरा संख्या 803 रकबा 1.58 है0,
खसरा संख्या [illegible] रकबा 1.23 हेक्टेयर प्रार्थीगण एवं
अपीलार्थी के संयुक्त खाते के [illegible] कर दिये हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी संख्या 01, 02 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बिना विधिवत भू-विक्रय करवाये प्रार्थीगण के हिस्से की उपरोक्त भूमि को बेचान कर प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते थे जबकि अपीलीय कार्यवाही - 503 के बाद पर प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने में कामयाब नहीं गये तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन रुपये-पैसों से किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः अपीलार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक उनके आंतरिक कब्जाई निर्णयाधीन पानद्द करावे। अभिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उक्त तर्कों का विशेष करते हुए आवेदन द्वारा दर्ज में चली स्थगन आ.दे. दिनांक 16.10.2024 को समाप्त करने का निवेदन किया।

मैंने उपस्थित अभिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी मौजा दांतिया पटवार हल्का सरवाना की फराबन्दी वर्ष 2013-14 अनुसार वादग्रस्त आराजी संयुक्त अस्सी खातेदारी का है जिसमें प्रत्येक सह-खातेदार का रकबा में हिस्सा निहित होता है अतः प्रथम दृष्टया साक्ष्य, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अपीलार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आदेश की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा दांतिया पटवार हल्का सरवाना के खसरा संख्या 801, 802, 803, 804 कुल रकबा 13.92 हेक्टेयर आराजी में मौके एवं राजस्व रेकर्ड में [illegible] बनाये रखें। पत्रावली [illegible] कम की जाकर दाखिल दफ्तर [illegible]।

सहा. कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner